>

Title: Combined discussion on the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill, 2009 and Demands for Supplementary Grants (Jharkhand), 2009-10.

MADAM SPEAKER: The House will now take up item nos. 20 and 21 together.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam Speaker, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."

The Supplementary Budget is introduced to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the monies required to meet the supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Jharkhand. Since the Parliament was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for temporary enhancement of the ceiling of the Jharkhand Contingency Fund from Rs. 150 crore to Rs. 500 crore, this Bill has been introduced here.

The State Government has sought Supplementary Grants to the tune of Rs. 1,074.03 crore out of which Rs. 40 lakh is charged. The Non-Plan demand is Rs. 412.30 crore to meet the drought situation. The other major component of expenditure is Rs. 29.38 crore on election, Rs. 20 crore on roads and Rs. 54.14 crore on education.

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you may speak on the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, the 2009-10 Budget of the State of Jharkhand received the assent of the President on 22nd July, 2009 and the date of issue of the Jharkhand Contingency Fund Ordinance, 2009 was 20th October, 2009. The matter for consideration today is the Supplementary Budget for 2009-10 and the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001.

MADAM SPEAKER: Motions moved:

> "That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."
>
> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 6, 9, 10, 18, 21 to 23, 26, 27, 30, 33, 39 to 42, 44, 47, 48 and 51."

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मैं तीन-चार बातें आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ये जो अनुपूरक मांगें आई हैं, क्या इन्हें इस सदन में लाना उचित है? झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। वहां अभी दो फेज का चुनाव बाकी है- एक फेज कल होगा और लास्ट फेज 18 दिसम्बर को होगा। वहां अभी 30 सीटों का चुनाव होना बाकी है, जबकि अभी सिर्फ 51 सीटों का चुनाव हुआ है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसे इस समय इस सदन के सामने लाना सर्वथा अनुचित है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): यह आचार संहिता का उल्लंघन है।

श्री यशवंत सिन्हा : चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लगी हुई है, यह उसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। झारखंड के चुनाव के नतीजे 23 दिसम्बर को आ जायेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक-दो दिन के भीतर वहां एक सरकार का गठन हो जायेगा। वह सरकार फिर वहां विधानसभा बुलाकर अनुपूरक मांगे पारित कर सकती थी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिन्हा जी, सरकार द्वारा कुछ पत्र सभा पटल पर रखने हैं। इसके पश्चात आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मेरा पहला एतराज यह है कि झारखंड की अनुपूरक मांगे इस सदन में नहीं आनी चाहिये थीं। आज 11 दिसम्बर है और सदन में हम चर्चा करने जा रहे हैं जबकि झारखंड विधानसभा के नतीजे 23 दिसम्बर को आ जायेंगे। केवल 12 दिन का समय है और उसके बाद सरकार का गठन होगा। वह सरकार अपनी व्यवस्था जिस तरह से चाहेगी, चलायेगी।

सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है कि एन.डी.ए. स्पष्ट और आरामदेह बहुमत की तरफ बढ़ रही है। 25 दिसम्बर को हमारे आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उस दिन तोहफे के रूप में हम झारखंड की सरकार उन्हें अर्पित करेंगे। उसके बाद वह सरकार अपना काम चलायेगी। कहां अनुपूरक मांगें चाहिये, कहां क्या करना है और कहां क्या नहीं करना है, उस सरकार पर छोड़े दें, यह सरकार क्यों तय करे? फिर मामला केवल 15 दिन का ही तो है।

सभापति महोदय, मैं अनुपूरक मांगों की आइटम्स देख रहा था और उनमें ऐसी कोई आईटम नहीं है जिसे 15 दिन के लिये स्थगित न किया जा सके। माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या उसके बगैर झारखंड सरकार रुक जाती या कोई बड़ा आवश्यक काम रुक जाता, क्या इसे पारित कराना आज के दिन आवश्यक था? इसलिये, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे वापस ले लें। अगर वापस नहीं लेते हैं

तो सदन इसे खारिज कर दे।

सभापति जी, मैं अनुपूरक मागों की आइटम्स देख रहा था जिनमें एक आईटम तिमाड़ विधानसभा के हुये चुनाव का खर्च इसमें दिखाया गया है। आप सभी लोग उस इतिहास को जानते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन तिमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जनवरी में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गये। उसके बाद 19 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन लगा। यहां राज्य का बजट पारित किया गया तो उस समय यह आइटम शामिल क्यों नहीं की गई? जनवरी, 2009 की आइटम आज के अनुपूरक मांगों में नहीं शामिल की जानी चाहिये थी क्योंकि उसका खर्चा पहले ही हो चुका है। इसी तरह मैं कई और आइटम्स देख रहा था। अगर बजट ढंग से बनाया जाता तो उसी समय उन्हें शामिल किया जाना चाहिये था जब बजट पारित हो रहा था। भारत सरकार ने अनुपूरक मागों में जिन बिन्दुओं को बहस के लिये रखा है और जिस जबरदस्त तरीके से झारखंड की अनुपूरक मांगें रख रहे हैं, यह तो एक तरह से अकुशलता है।

यह इतना मजाक है कि जो आइटम्स जनवरी, फरवरी में हुए वे झारखंड के जुलाई, अगस्त के बजट में शामिल नहीं किए गए। वहां पर इस तरह का बेकार बजट कौन बनाता है? वास्तव में यह एक शर्म का मामला है। बजट में हम जिन-जिन आइटम्स को एन्टीसिपेट कर सकते थे, उन्हें एन्टीसिपेट नहीं किया गया और सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आ गए कि साहब, यह हमें चाहिए। उसी के चलते 150 करोड़ रूपए की जो आकस्मिक निधि थी, उसके लिए ऑर्डिनेंस ले आए कि इसे 500 करोड़ रूपए कीजिए। इसकी क्या आवश्यकता थी? इसमें कहीं पर भी आपने अनुपूरक मांगें पेश कीं, मैं खोज रहा था कि इसमें कहीं पर भी लिखा जाता कि अब तक कितना खर्च हो गया, किस आइटम पर कितना खर्च हुआ। कम से कम आप सितम्बर तक की तो फिगर देते कि सितम्बर तक इतना खर्च हुआ। उसके बाद आप कहते कि हमें इतना चाहिए तो हम आपको उपलब्ध कराते।

महोदय, वह स्टेटमेंट इसमें नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि झारखंड के बजट के बारे में अखबारों में जो खबर छपी है। वह यह है कि 8,200 करोड़ रूपए की योजना मद है। शायद यह नवंबर के अंत तक की फिगर है कि 8,200 करोड़ रूपए के खिलाफ सिर्फ 2,056 करोड़ रूपए ही खर्च हुए हैं। जब खर्चा ही नहीं हो रहा है तो योजना मद में किस बात की सप्लीमेंट्री डिमांड। केन्द्रीय योजना 1,355 करोड़ रूपए और खर्च 244 करोड़, गैर योजना 13, 437 करोड़ रूपए और खर्च 4,200 करोड़। कुल बजट 22,992 करोड़ रूपए और खर्च 6,500 करोड़। नवंबर के अंत तक यही खर्च है और उसके बाद कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री दो, काहे के लिए सप्लीमेंट्री दो, किस बात के लिए सप्लीमेंट्री। सितंबर के अंत तक कोई स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर नहीं है। अखबारों में जो बात छप रही है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं, खर्च के मामले में।

महोदय, मंत्री महोदय को बताना पड़ेगा, अगर उसे विदड्रा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें किसलिए चाहिए, किस बात के लिए चाहिए। जब खर्च ही नहीं हो रहा है तो एडिशनल पैसा झारखंड सरकार को क्यों दिया जा रहा है? अब आप देखिए, इसमें मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातें हैं। रेलवे के लिए राज्य सरकार का जो कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हमने व्यवस्था की है। राज्य का जो कन्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों के समय में यह तय हुआ था कि जो नयी लाइनें झारखंड में बिछायी जाएंगी, उसमें दो तिहाई रेल मंत्रालय यानी कि भारत सरकार देगी और एक तिहाई झारखंड सरकार देगी। यह तो बहुत दिन पहले का कमिटमेंट है। जब बजट बना तो उसमें एक तिहाई कन्ट्रीब्यूशन के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गयी, उसे अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स में क्यों लाया जा रहा है? कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है कि इसका यह हाल क्यों हुआ?

महोदय, उसी तरह से वसूली की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जितनी वसूली होनी चाहिए, उससे बहुत कम वसूली हुई है। झारखंड को जो बजटरी घाटा है, वह आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने झारखंड की ओवर ऑल तस्वीर आपके सामने रखता हूं। झारखंड के ऊपर कर्ज का जो भार है, वह धीरे-धीरे बढ़ता चला गया है। अभी झारखंड के ऊपर 22 हजार करोड़ रूपए का कर्ज है और उसमें 4,575 करोड़ रूपए का घोटाला है। 22 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण है और 4575 करोड़ रुपये का घोटाला है। अभी परसों वित्त मंत्री जी झारखंड में थे। उन्होंने वहाँ मीडिया को कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है। यह देश के वित्त मंत्री का राँची से बयान है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली फेल हो गई है इसलिए महंगाई का असर यहाँ अधिक है। "जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए चीनी, खाद्य तेल, दाल, चावल सस्ती दरों पर मिलती है। यदि जन वितरण प्रणाली ठीक रहती तो यहाँ के गरीबों को चीनी पाँच रुपये किलो में उपलब्ध होती। ऐसा नहीं होने के कारण झारखंड में महंगाई का ज्यादा असर पड़ा है।" यह वित्त मंत्री जी का बयान है। यहाँ उनके राज्य मंत्री महोदय का सदन के सामने स्टेटमैंट है "Distribution of levy sugar has been started. Doorstep delivery of food grains has also been initiated." आप झारखंड के सांसद हैं, मैं झारखंड का सांसद हूँ। आप बताइए कि डोरस्टैप डिलीवरी ऑफ फूडग्रेन्स कहाँ हो रहा है झारखंड में? लेवी शुगर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से कहाँ मिल रही हैं? या तो राज्य मंत्री महोदय ने इस सदन को गुमराह करने के लिए यह स्टेटमैंट पेश किया या यहाँ कल-परसों जो उनके सीनियर वित्त मंत्री महोदय कहकर आए हैं, उन्होंने सही बात नहीं कही। क्यों नहीं कहेंगे सही बात? जब वे राँची गए थे, वहाँ उन्होंने बयान दिया चुनाव के समय और यह कहा कि झारखंड में जन-वितरण प्रणाली फेल हो गई है, तो क्या हम डोरस्टैप पर डिलीवरी दे रहे हैं? बिल्कुल असत्य बात यह लिखी है कि चीनी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से मिल रही है, फूडग्रेन्स को डोरस्टैप पर डिलीवर कर रहे हैं। कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सही कौन है?

श्री यशवंत सिन्हा : यह तो वे बताएँगे कि कौन सही है। दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, उसको मैंने आपके सामने रखा। जब जन वितरण प्रणाली फेल हो गई तो इसमें बहुत सारे आइटम्स ऑफ एक्सपैंडीचर हैं, जो जन वितरण प्रणाली से ही संबंध रखते हैं कि हमें फ्री फूडग्रेन्स के लिए इतना चाहिए, उतना चाहिए। वह सब बेकार है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा।

कल यहाँ पर नरेगा पर चर्चा हो रही थी। सामान्य चर्चा हो रही थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनकी दुखती रग है, क्यों बोलते हो।

श्री यशवंत सिन्हा : एक सदस्य वहाँ बैठे थे। उन्होंने खूब ज़ोर ज़ोर से कहा कि नरेगा ऐसी योजना है जो दुनिया भर में कहीं नहीं चली। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, उस वक्तव्य के बाद मैंने जाकर कुछ और जाँच की कि झारखंड में नरेगा में जितने जॉबकार्डधारी बने, उन सबको सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए 4000 करोड़ रुपये के आबंटन की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जो ज़रूरत थी, उसके बदले आबंटन 2500 करोड़ रुपये था। 2500 करोड़ रुपये तो आबंटन ही कम रहा। उसके बाद आप देखिये सितंबर के महीने में वहाँ के राज्यपाल महोदय का एक बयान आया जो अखबारों में छपा। "नरेगा फेल्ड - 10 अरब लैप्स्ड।" 2500 करोड़ रुपये की एलोकेशन है और उसमें से राज्यपाल महोदय के अनुसार 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार को वापस लौट गया क्योंकि खर्च नहीं हो पाया। खर्च कितना हुआ - 1500 करोड़ रुपये। कितने की आवश्यकता थी - 4000 करोड़ रुपये की। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, उनके एक सलाहकार हैं राष्ट्रपति शासन में जिनका नाम है ... * । उनका बयान छपा है। अखबार में लिखा है कि इस अवसर पर...* ने कहा कि नरेगा की योजनाओं को लागू करने में सबसे भ्रष्ट जे.ई. है, जे.ई. का मतलब जूनियर इंजीनियर है और बी.डी.ओ. उससे भी भ्रष्ट है। जे.ई. सोचता है कि वह जो कर रहा है, वही अच्छा है।

सभापति महोदय, ग्रामसभा पर उसे विश्वास नहीं है। नरेगा तब तक सफल नहीं होगा, जब तक गांवों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि हमारे यहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और इसलिए सरकारी पदाधिकारी इसे चलाते हैं। ग्रामसभा कहीं नहीं होती है, ग्रामसभा के नाम पर सरकारी दफ्तर में लोग बैठ कर उसकी कार्यवाही तय कर देते हैं और वहीं पर ठेकेदार तय हो जाता है। बैंक एकाउंट की बात हुई, बैंक एकाउंट नहीं खुलता है। वहां पर पता नहीं लोगों को कितने दिनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। बैंकों की हालत यह है कि वहां जब लोग जाते हैं तो बिना पैसे लिए हुए बैंक के पदाधिकारी उन्हें पैसा निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। हर स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार झारखंड में है और उससे नरेगा भी अछूता नहीं है। अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो राज्यपाल महोदय का खुद का और उनके सलाहकार का बयान इस बात को साबित करता है।

* Not recorded.

सभापति महोदय, मुझे जब हमारे उपनेता ने झारखंड में फोन करके कहा कि यहां अगर आप आ रहे हैं तो इस विषय पर बोलें तो दो-तीन दिन के अखबार को मैंने ज्यादा गौर से देखा। अखबार में एक हैड

लाइन दी हुई है कि चीफ इंजीनियर सहित चार इंजीनियर सस्पैंड। ये क्यों सस्पैंड हुए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। किसानों से प्राप्त बीज के पैसे कृषि पदाधिकारी खा गए। बोकारो एक छोटा जिला है, सब जिले अब छोटे हैं। एक जिले में बी.आर.डी.एफ., बैकवर्ड रीज़न डेवलपमेंट फंड जो है, उसमें 41 करोड़ का घोटाला। ये सब ज़मीनीस्तर पर हो रहा है। डीजीपी से जवाब-तलब, क्योंकि सिक्रेट फंड का घोटाला हो गया। दो आईएएस आफिसरों के ऊपर कार्यवाही, क्योंकि वे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना का अन्न निगल गए।...(व्यवधान) "बीज वितरण में गड़बड़ी, फंसेंगे अधिकारी।" विष्णुगढ़ में, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है, नरेगा का दो करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया। वह बेचारा काम करके बैठा हुआ है और महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन उसे पेमंट नहीं होता है। उसे इसलिए पेमंट नहीं होता है, क्योंकि जब तक वह पैसा नहीं खिलाएगा, तब तक उस मजदूर का पेमंट नहीं होगा। ये सब जो व्यवस्था बनी है कि बैंक में रुपया जमा हो जाएगा और सीधे बैंक से आराम से निकल जाएगा। ये सब कागज पर है, कम से कम झारखंड में यह लागू नहीं है। राजीव गांधी विद्युतीकरण का काम धीमी गति से हो रहा है, डेढ़ साल में मात्र 22 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। "करोड़ों खर्च के बावजूद हजारों लाभुक आवासहीन," यहां पर नरेगा से ही संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि एक जिला है, वहां कुछ धार्मिक एनजीओज़ हैं। झारखंड में खूब चलता है - धार्मिक एनजीओ। चार सौ करोड़ रुपए नरेगा के नाम पर धार्मिक एनजीओज़ को दे दिया गया। एक पर्टिकुलर जिले में, जहां खास तौर पर एक व्यक्ति का प्रभाव है, मैं जानता हूं, मगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वह दूसरे सदन में है।

सभापति महोदय, उनके कहने पर नरेगा के अंदर 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए वहां दे दिए गए और कुछ खर्च नहीं हुआ। अब लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह उसे वापस लिया जाए। कितना कहें। अब अगर यहां से, सप्लीमेंट्री डिमांड पारित कर, पैसे भेजते हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश नहीं लगता है, तो मैं बहुत गम्भीरता के साथ, इस बात को इस सदन में कह रहा हूं कि इस पैसे का भी वही हस्र होगा, जो कि पहले गए पैसों का हुआ। यह सदन, यहां इसलिए नहीं है कि हम लोग अनुमति दे दें और वहां जाकर पैसे लुट जाएं।

सभापति महोदय, झारखंड में, सिर्फ ऊपरी लैवल पर, मधु कोडा के लैवल पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, केवल वही समस्या नहीं है, वह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है ही, लेकिन उसके साथ-साथ निचले स्तर पर अब जो भ्रष्टाचार पहुंच गया है, उसका कैंसर हमारी बॉडी पॉलिटी में फैलते-फैलते, हर अंग को टच कर रहा है। वहां राज्य सरकार का हैलीकॉप्टर चलता था। उसके दुरुपयोग का मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। अब बार-बार राज्य सरकार से मांगा जा रहा है कि कौन चढ़ा, नहीं चढ़ा, बहुत लोग चढ़े, नाम ही एंटर नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि सिविल एविएशन रूल का इस प्रकार से उल्लंघन किया गया है और सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी फेमिली प्रॉपर्टी समझा गया। अपनी बपौती समझ रहे हैं कि हैलीकौप्टर में जो चाहे, चढ़ जाए। ...(व्यवधान) मैं राज्यपाल के बारे में अभी कहता हूं। आप सोचिए कि जब वहां इस तरह का भ्रष्टाचार है, नरेगा हो या विकास की दूसरी योजनाएं हों, तो क्या हम पैसे को वहां लूटने के लिए उपलब्ध करा दें? मैं सदन में कह रहा हूं कि झारखंड को तब तक एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वहां पर चुनी हुई सरकार बहाल नहीं हो जाए और चुनी हुई सरकार जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाए।

सभापति महोदय, अब आप देखिए कि मधु कोडा मुख्य मंत्री बना दिए गए, किसने बनाया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि हमने नहीं बनाया। इन्होंने बनाया, इन्होंने नेतृत्व संभाला कि एन.डी.ए. की सरकार को गिराकर, निर्दलीय मुख्य मंत्री, मधु कौडा को, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके

समर्थन से बना दो। वे बन गए। उसके बाद उनके 23 महीनों में जो कुछ हुआ, वह अब दुनिया के सामने है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है, वह यह है कि उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की कोई एजेंसी जांच नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि उसकी जांच कौन-कौन सी एजेंसियां कर रही हैं, यह वित्त मंत्री महोदय बताएं क्योंकि वे वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें इन्वैस्टीगेशन हो रहा है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ऐनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का, उसमें इन्वैस्टीगेशन हो रहा है इन्कम टैक्स का। ये दोनों केन्द्रीय एजेंसीज हैं। उसके बाद इन्वैस्टीगेशन हो रहा है, राज्य के निगरानी विभाग का। बहुत दिनों तक हम लोग कहते रहे कि इसमें करप्शन की जांच कहां हो रही है? इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वह इन्कम टैक्स कलैक्ट करेगा। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का काम करप्शन इन्वैस्टीगेशन करने का नहीं है। वह तो कहेगा कि तुम्हारी इतनी इन्कम हुई, उस पर टैक्स दो। अगर उसमें जानबूझकर किसी ने छिपाया है, तो उसके लिए जो पैनल्टी है, वह पैनल्टी लगाएगा। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट, भ्रष्टाचार के लिए मधु कोडा और उनके सहयोगियों को कोर्ट-कचहरी में खड़ा नहीं कर सकता। प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है, प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉंडरिंग एक्ट के अन्तर्गत, अगर मनी लॉंडरिंग हुआ है, हवाला ट्रंजैक्शन हुआ है, यहां का पैसा बाहर गया है, तो वह उसकी जांच करेगा, कर भी रहा है। आज ही मैंने अखबार में देखा कि कोर्ट की परमीशन ली है और लैटरोगेटरी भेज रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के लोग सात मुल्कों में जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि उन्होंने कहां-कहां इन्वैस्टमेंट किया है। ...(व्यवधान) वे पिकनिक मनाएंगे और क्या करेंगे। वे सात मुल्कों में जाएंगे, लेकिन एनफोर्टमेंट डायरैक्टोरेट भी भ्रष्टाचार की जांत तो नहीं करेगा। भ्रष्टाचार की जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होगी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, स्टेट का निगरानी डिपार्टमेंट जांच करेगा या सी.बी.आई. जांच करेगी, तीसरी कोई संस्था जांच नहीं करेगी। इस केस में सी.बी.आई. की जांच नहीं हो रही है। राज्य की निगरानी जांच करने जा रही है। राज्य की निगरानी क्या जांच कर रही है कि उनके पास आय से अधिक सम्पति है। आय से अधिक सम्पति की जांच हो रही है और हम सब जानते हैं, यहां कपिल सिब्बल जी बैठे हैं, बहुत ही एमीनेंट लॉयर हैं कि आय से अधिक सम्पति का मामला जब आता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना होता है और सब जानते हैं कि कैसे बड़े-बड़े राजनेताओं के खिलाफ भी वह फेल कर गया है।

लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी तक दो चीजों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। स्पेसिफिक केसेज़ ऑफ भ्रष्टाचार हुए हैं। माइनिंग लीज़ दी गई, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसमें आय से अधिक सम्पति का मामला तो समझ में आता है कि उसने पहले भ्रष्टाचार किया, तब सम्पति अर्जित की तो आप उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पति का मामला चालू करो। लेकिन उसने आय से अधिक सम्पति उपलब्ध कैसे की, उसकी आय का वह पैसा कहां से आया, इस पर दो बातें, जो मैं कह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण हैं। नम्बर एक-मधु कौड़ा ने तो फाइलों में वह नोट नहीं लिखा कि फलां-फलां व्यक्ति को या कम्पनी को माइनिंग लीज़ दे दी जाये। वह किस पदाधिकारी ने लिखा होगा, वह कौन पदाधिकारी था? आज तक किसी भी अखबार में मैंने ऐसे पदाधिकारी का नाम नहीं पढ़ा है। आज तक इस बात की कहीं जांच नहीं हो रही है कि किस पदाधिकारी ने फाइल में क्या लिखा, जिस पर कि मधु कौड़ा ने अपने हस्ताक्षर किए होंगे तो कैसे पदाधिकारी बिल्कुल बचे हुए हैं? उनके खिलाफ क्या जांच हो रही है? आय से अधिक सम्पति की स्टेट निगरानी जांच करेगी तो क्या उसमें पदाधिकारी चक्कर में आएंगे, परिधि में आएंगे? नहीं आएंगे।

दूसरा कि चार हजार करोड़ रुपये का घपला हो गया तो किसी ने दिया होगा न, उसको उसने भारत सरकार के मिंट से तो प्रिंट नहीं किया, किसी ने उसको दिया। किसने दिया, यह जांच नहीं हो रही है। किसी कम्पनी ने दिया होगा, जिसको फायदा हुआ होगा। उसकी जांच कौन कर रहा है? कोई नहीं। मैं इस सदन में भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि जान-बूझकर मधु कौड़ा के मामले को ठंडे बस्ते में डालने का *(Interruptions)* â€¦* प्रयास हो रहा है। क्यों? क्योंकि मधु कौड़ा की डायरी के पृष्ठ अखबारों में छपे हैं। उसमें नाम लिखे हुए हैं कि फलां-फलां को उसने दिया। जरा सी जांच होगी तो पता चल जायेगा कि कौन-कौन लोग उसके लाभुक हैं, किसने फायदा उठाया है।

अब एक तरफ तो ई.डी. (एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट) की जांच हो रही है, इन्कम टैक्स की जांच हो रही है तो सी.बी.आई. से क्यों नहीं जांच कराते? कांग्रेस पार्टी के जो नेता इस चुनाव प्रचार के दरम्यान झारखंड गये, उन्होंने प्रैस को कहा कि हो सकता है कि सी.बी.आई. की जांच भी हो जाये। हो सकता है नहीं, कराओ सी.बी.आई. की जांच। मैं सदन में मांग करता हूं कि सी.बी.आई. की जांच कराओ और इन सब लोगों को पकड़ो। देश का इतना बड़ा घोटाला हुआ है। शायद देश के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। इससे पूरा झारखंड प्रदेश बदनाम हुआ, पूरा देश बदनाम हुआ और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कि इन्कम टैक्स इन्कम टैक्स विभाग ले ले, पूर्वतन निदेशालय यह कर ले और स्टेट की निगरानी जांच करे। स्टेट की निगरानी लाइबेरिया में देखने के लिए जाएगी कि उसने वहां पर माइंस खरीदीं कि नहीं। उसमें सी.बी.आई. की जांच होनी चाहिए।

दूसरी बात, वहां पर एक राज्यपाल महोदय थे। 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल महोदय के ठाठ बन गये। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय के दो निकटतम जो पदाधिकारी थे, उन दोनों के ऊपर सी.बी.आई. की रेड हो चुकी है और दोनों के खिलाफ सी.बी.आई. की जांच चल रही है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस चुनाव के दरम्यान कांग्रेस पार्टी के जो नेता झारखंड गए, उन्होंने कहा, आपने देखा कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लड़ते हैं। हम लोगों ने उस राज्यपाल को यहां से ट्रंसफर कर दिया। उसको जहां भेजा, उसके बाद उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी नहीं, उसको घर भेज दिया। क्या यही पनिशमेंट होना चाहिए? मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करता हूं कि उस राज्यपाल के खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसने भारी घपला किया है। जैसे अंग्रेज भारत को लूटते थे, जब हम उनकी दासता में थे, उसी

* Not recorded.

तरह उस राज्यपाल ने झारखंड को लूटने का काम किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या उसको हटा देना ही काफी है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, झारखंड में आप आज झारखंड सरकार पर किसी भी स्पॉट पर अपनी उंगली रखें, वहीं आप देखेंगे दलदल है, वहीं आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का भयंकर दलदल है। ...(व्यवधान) झारखंड की यहां सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश हो रही हैं। यह तो मजाक है। यह मजाक है और मैं कहता हूं कि इस मजाक का अंत करिए। मैं राज्य मंत्री मीणा जी से आग्रह करूंगा कि इसको प्रेस मत करिए। इसको वापस लीजिए और झारखंड की जो निर्वाचित सरकार होगी, उसके ऊपर छोड़िए कि वह आगे क्या करना चाहती है? इस प्रकार भारत सरकार को, चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसके घेरे में लाने का दुस्साहस आप मत कीजिए। यह आपके लिए भी बेहतर होगा और झारखंड के लिए भी बेहतर होगा। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It will be better for you. ...(*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : It will be better for Puducherry also. ...(*Interruptions*) महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा कि यह बिल्कुल ही अनावश्यक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि यह इस सदन से पास हो। झारखंड में इस सदन को एक रूपया भी अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक झारखंड को हम साफ-सुथरा नहीं कर लेते, स्वच्छ नहीं बना लेते, क्योंकि इस प्रकार की सड़ी-गली सरकार को और प्रशासन को हम एक रूपए के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड के कंटीजेंसी और सप्लीमेंट्री बजट के उस विधेयक पर, जिसे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, भाग लेने की अनुज्ञा दी है। पूर्व माननीय वित्त मंत्री जी जो खुद वित्त मंत्री रहे हैं और बजटीय प्रोवीजन को भी जानते हैं, कंटीजेंसी फंड को भी जानते हैं। राज्यों और केंद्र में बजट के बाद फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट और सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान भी जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार किसी राज्य का कोई सप्लीमेंट्री बजट आ रहा हो और उसकी आवश्यकता नहीं है।

महोदय, जिस तरीके से सदन में कहा गया कि अगर राज्य में कंटीजेंसी को रेज करने के लिए जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया या सप्लीमेंट्री बजट के लिए उन्होंने जो अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया है, उसको खारिज कर दिया जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका और आवश्यकताओं का दोनों का समन्वय है और मैं समझता हूं कि जहां खुद उन्होंने स्वीकार किया कि 23 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे, नयी सरकार बन जाएगी, तो निश्चित तौर से खर्च तो नयी सरकार ही करेगी। आज इस सदन में हम इस विधेयक को लेकर आए हैं। दोनों सदनों से पारित होने और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जब यह राज्य में जाएगा, तो निश्चित तौर से उस समय तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह सवाल राज्यपाल शासन का नहीं है। आने वाली सरकार हमारी पार्टी की होगी या किसी अन्य पार्टी की होगी, उसका भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हम जो विधेयक लेकर आए हैं, यह राज्य की आवश्यकताओं की अति आवश्यकता थी। अगर किसी राज्य के कंटीजेंसी फंड को बढ़ाया जाए, तो याद कीजिए इसी सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा सूखा अगर कहीं पड़ा है, तो वह झारखंड में पड़ा है। वह आपके पड़ोस का राज्य है, आप जानते हैं। उसे हम कैसे फोरसी कर सकते थे, कैसे दृष्टिगत कर सकते थे। जिस समय इस सदन ने ऐनुअल बजट या जनरल बजट को पारित किया था, उसके बाद राज्य जिस भयंकर संभावित सूखे से प्रभावित हुआ, उसके लिए हम किस तरह यह प्रावधान कर सकते थे। राज्य के सभी 24 जिलों के प्रखंड सूखाग्रस्त होने के कारण अगर वहां राहत कार्यों को चलाया जा रहा है, राहत कार्यों को चलाया भी गया, चुनाव का समय नहीं है जो कहा जाए कि चुनाव में खर्च हो गया, चुनाव से पूर्व राहत राहत कार्य शुरू हो गए। माननीय सुषमा जी ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जब कई प्रदेश सूखे से प्रभावित थे, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष के सब लोग उसके लिए चिंतित थे। राज्यों में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हम केन्द्र सरकार से मांग कर रहे थे कि सूखा प्रभावित राज्यों में केन्द्र की टीम भेजी जाए, असैस किया जाए। उस समय माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे राज्य से हमने दो बार मुख्य मंत्री जी से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने हमें इंटरटेन नहीं किया और हमें इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। 24 जनपदों के सभी प्रखंडों में सूखा राहत कार्यों को चलाए जाने के लिए कंटीजेंसी फंड को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ करोड़ रुपये कर दिया गया। लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था। 20 अक्टूबर को जब अध्यादेश के माध्यम से हमने पैसा लिया, तो स्वाभाविक है कि जब लोक सभा चलेगी, तब तत्काल हमें विधेयक लाकर उस पैसे को रैटीफाई करना होगा। हम आकस्मिकता निधि को क्यों बढ़ाते हैं?

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

हम केन्द्र और किसी भी राज्य में कंटीजेंसी फंड इसलिए बढ़ाते हैं कि हम ऐनुअल बजट में कभी इस बात का प्रावधान नहीं कर सकते। अगर कोई नैचुरल कैलेमिटी हो जाए...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है। There are only 40 Members. There is no quorum. This is something which is ridiculous. We are deciding something about Jharkhand and there are only 40 people. You need at least 55 peoples. क्या यह सरकार इस मामले में गंभीर है?...(व्यवधान) एक तो आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है।...(व्यवधान) झारखंड के बारे में चर्चा हो रही है और सदन में कोरम नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat.

Are you raising the issue of quorum seriously?

SHRI KIRTI AZAD : Yes, very much.

MR. CHAIRMAN**:** The bell is being rung-

Now, there is Quorum in the House.

Shri Jagdambika Pal, you may continue your speech.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, you cannot talk like this in the House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Please do not stand in front of the hon. Member who is speaking in the House.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: You people will have to see on your side also before raising the issue of Quorum in the House. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, you may continue your speech.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record other than what is being spoken by Shri Jagdambika Pal. Therefore, please keep quiet.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृपा करके कोरम पूरा कर दिया। मैंने आपसे स्वयं इस बात को कहा कि संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की थी कि अगर किसी भी राज्य या केन्द्र का बजट प्रस्तुत किया जायेगा, तो ऐसी परिस्थितियां भी उस बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद निर्मित हो सकती हैं चाहे वह नेचुरल कैलामिटी हो या ऐसी जो दृष्टिगत न की जा सके, उनके लिए कंटीजेंसी फंड भी बनाया जायेगा। मूल बजट में जिसका प्रावधान नहीं करते हैं, उसकी आवश्यकता के लिए पापुलर गवर्नमैंट्स अपने नये कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं जैसे आज झारखंड राज्य में गरीब, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिलती थी। आज इस सरकार ने निश्चय किया अब हम छात्रों को मुफ्त साइकिल देंगे। अगर इसकी परिकल्पना हमने उस बजट में नहीं की थी और उसके लिए सप्लीमैंट्री बजट लेकर आ रहे हैं, तो इस पर माननीय सदस्य कहेंगे कि हम इस बजट को खारिज करें, तो उस झारखंड प्रदेश के सुदूर अंचलों में, गांवों में बैठे हुए आदिवासी लड़के, जिनको पहली बार अपने स्कूल तक जाने के लिए मुफ्त साइकिल का प्रावधान यह सरकार करने जा रही है, जिसके लिए इस बजट का प्रावधान किया और जिसके नाते इसको सप्लीमैंट्री बजट लेकर लाना पड़ा या कंटीजेंसी फंड बढ़ाना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि यह जनहित में है। क्योंकि अभी तक केवल वहां की छात्राओं को, चाहे वे आदिवासी हों, एस.सी और एस.टी या अल्पसंख्यक हों, उनको मुफ्त साइकिल मिलती थी। क्या इसमें प्रावधान नहीं किया गया कि अब आपके झारखंड प्रदेश के उन आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो गरीब है, उनको भी साइकिल का प्रावधान किया जायेगा। इसी तरह त्यौहार के लिए प्रावधान किया गया है।

* Not recorded.

अगर बीपीएल परिवार के लोग जो अन्त्योदय रहित थे, उन परिवारों को अनुदानित दर पर मुफ्त लेवी चीनी का वितरण करने के संबंध में कोई फैसला किया गया और उसके लिए जिस ढंग के प्रावधान की आवश्यकता हुई या बीपीएल परिवारों को आगामी त्यौहार के अवसर पर पांच किलो चावल प्रति परिवार मुफ्त में वितरण करने की बात है, मैं समझता हूं कि यह सब बात जनहित की है। अगर कोई राज्य सरकार यह फैसला करती है कि हम अन्त्योदय परिवारों को अगर कहीं रोजगार के अभाव में दो जून का भोजन मयस्सर नहीं हो रहा है, अगर उनके चूल्हे की आग ठंडी है, तो उन अन्त्योदय परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से वह मुफ्त दिया जा रहा है, तो उसके लिए निश्चित तौर से हमें बजटरी प्रोविजन करना पड़ेगा और उसके लिए कंटीजेंसी फंड लेकर आना पड़ेगा। इसी तरह से चीनी वितरण और खाद्यान्न की बात है। माननीय सदस्य ने अभी तमाम समाचार पत्रों का उल्लेख करते हुए पिछले दिनों राज्यपाल की सरकार की कार्रवाई की बात कही है। मैं समझता हूं कि जिस समय लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था, 20 अक्टूबर को जब अध्यादेश जारी करना पड़ा, तो उस अध्यादेश के द्वारा हमने कंटीन्जेंसी फंड को 150 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपए किया गया, तो जिस समय लोक सभा का यह सत्र चल रहा है, उसमें सबसे पहले हमें इसे लोक सभा से पारित कराना होगा। क्या इस प्रजातंत्र में यह अधिकार है कि कोई राशि अगर अध्यादेश के माध्यम से ले ली जाए जब लोक सभा या विधानसभा सत्र में न हों, लेकिन जब उनका सत्र चले उसके बाद भी वह पैसा बिना जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित किए हुए उसको रेगुलराइज किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि नहीं किया जा सकता। यह तो संवैधानिक बाध्यता है क्योंकि उस समय वहां पर कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, निश्चित तौर से इस विधेयक को लोक सभा के समक्ष लाना अति आवश्यक है। अगर हम इसे खारिज कर दें, तो एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अगर हमने कंटीन्जेंसी फण्ड को बढ़ाया है तो उसके बारे में विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 24 जनपदों के तमाम प्रखण्डों में इस शताब्दी का जो भयंकर सूखा पड़ा है, उससे प्रभावित लोगों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, दलितों, मजलूमों के लिए राहत कार्य चलाए जा सकें। आज झारखण्ड में राज्यपाल शासन है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि यह काम करना पड़ा। अगर राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। जिस काम की हम लोकप्रिय सरकार से अपेक्षा करते हैं, अगर उससे बढ़कर कार्य वह जनहित में कर रहे हैं, सूखे से प्रभावित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस विधेयक को पारित करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने सड़कों के अनुरक्षण की बात कही है। पिछले दिनों, जब वर्ष 2000 में यह राज्य बना था, हम सभी की अपेक्षाएं थीं कि झारखण्ड सरप्लस स्टेट होकर आया है और इस देश के सभी राज्यों से अच्छा राज्य होगा। निश्चित तौर से हमने इसकी कल्पना की थी, हम अपेक्षा भी करते थे। माननीय सदस्य ने भी परिकल्पनाएं कीं, उनको साकार करने की कोशिश भी की। किसी भी राज्य को अगर केन्द्र का वित्तमंत्री मिल जाए, तो निश्चित तौर पर उस राज्य की न केवल अपेक्षाएं बढ़ेंगी, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर लोगों के विकास के ख्वाब को तामील करने में हम सक्षम हो सकते हैं। आज माननीय सदस्य जिस घाटे की बात कह रहे हैं, वर्ष 2000 में जब यह राज्य सरप्लस स्टेट था, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2000 से 2009 तक की अवधि में केवल एक वर्ष राज्यपाल शासन

रहा, शेष अवधि में वहां जो भी मुख्यमंत्री बने चाहे वह मधु कौड़ा हों, अर्जुन मुंडा हों, बाबूलाल मरांडी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस का वहां अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना।...(व्यवधान) 15 नवंबर, 2000 को बाबूलाल मरांडी जी को आपने शपथ दिलाई। वह मुख्यमंत्री बने और उसमें मधु कोड़ा जी मंत्री बने। आप सभी माननीय सदस्यों को यह बात याद होगी। वर्ष 2002 तक वह सरकार चली और उसमें तीन मंत्री ऐसे थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने बारगेन और बुली करना शुरू किया। लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा थी कि वह पार्टी जो अन्य राज्यों में बात करती है कि हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, हम चरित्र की राजनीति करते हैं, हम आदर्श की राजनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से वह ऐसे मंत्रियों के बारगेन और बुली के प्रभाव में नहीं आएगी। इस बात को उन्होंने अपने केन्द्रीय नेतृत्व से कहा, लेकिन इसके बावजूद भी बाबू लाल मरांडी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपने केन्द्रीय नेतृत्व से चुनाव में जाने को कहा। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने किसी भी सदस्य को टोका नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें विधान सभा भंग करके चुनाव में जाना चाहिए। लेकिन विधान सभा भंग करने की बात नहीं हुई क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा बात करते हैं आदर्श की लेकिन राजनीति हमेशा सत्ता-दृष्टिगत होती है। जो मुख्यमंत्री आपके थे उन्होंने रिकमेंड भी किया कि हमें विधान सभा भंग करके चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन आपने बात नहीं मानी। फिर आपने अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बना दिया और उन्होंने कहा कि कम से कम उन मंत्रियों को निकालिये या उनके विभाग बदल दीजिए, लेकिन आप उस पर भी राजी नहीं हुए जिसके कारण बाबू लाल मरांडी को पार्टी छोड़नी पड़ी, अगर आप भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बाबू लाल मरांडी आपके साथ नहीं खड़े हैं। माइन्स मिनिस्टर किसने बनाया?

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): बाबू लाल मरांडी ने।

श्री जगदम्बिका पाल : बाबू लाल मरांडी ने नहीं, आपके अर्जुन मुंडा जी ने। बाबू लाल मरांडी जी ने स्टेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन उस समय माइन्स मिनिस्ट्री नहीं थी, आप करेक्ट कर लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Your time is up.

श्री जगदम्बिका पाल : वह रनिंग कमेंट्री कर रहे थे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are not listening. At 3.30 p.m. Private Members' Business will start and nobody can encroach on that. You have to wind up now in one minute.

श्री जगदम्बिका पाल : आप पांच मिनट्स दे दीजिए। हमारे सत्तारूढ़ दल की तरफ से भी तो जवाब आयेगा। जांच के बारे में ऐसे कहा जा रहा है जैसे हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं। जांच इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है, इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है और उसके पहले राज्य निगरानी भी कर रहा है। आप कहते हैं कि इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या होता है? लैटर ऑफ रोगेट्री का आपने खुद उल्लेख किया कि उन मुल्कों के लिए जैसे लैटर ले लिया गया है कि अगर वहां पर जितनी जांच करने की आवश्यकता हो, उस जांच को किया जा सकता है। इतिहास गवाह रहा है, इस सदन के लोग रहे है, मंत्री पूर्व में रहे हैं, जिनके खिलाफ इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच की है, आज वे लोग राजनीतिक अवसाद और बनवास में हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारी सरकार अगर मधु कौड़ा जी को बचाने की बात करती तो आज वे जेल में नहीं होते। आप लोगों को बचाने का काम करते हैं। आज इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, 70-70 जगह छापे पड़ रहे हैं। आज आपने माननीय प्रणब मुखर्जी के बयान का उल्लेख नहीं किया, आपने और सब अखबारों के बयान का उल्लेख कर दिया। प्रणब मुखर्जी के सामने पत्रकारों ने शायद पूछा हो कि क्या डायरी की जांच नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि डायरी की भी जांच होगी। माननीय प्रणब मुखर्जी का बयान रांची में क्या रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कंटिजेंसी बढ़ाने की बात आई है, वह जनहित में है, सूखा-राहत कार्यों के लिए है। जो हम सप्लीमेंट्री बजट लेकर हम आये हैं, वह उस प्रदेश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों, गिरिजनों और मजलूमों के हित में है। इसलिए इसको पास करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे झारखंड संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां तक यह सरकार वर्ष 2009 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आई है तो यह बात भी सत्य है कि वहां चुनाव हो रहा है और यह बड़ा संवैधानिक सवाल है कि इस चुनाव के वक्त सप्लीमेंट्री बजट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसका फैसला तो विद्वान लोग ही करेंगे।

सब जानते हैं कि वर्ष 2000 में इस राज्य का गठन हुआ है और यह राज्य एससीएसटी और आदिवासी बहुल राज्य है।

महोदय, झारखंड में बहुत-सी त्रासदियां हुई हैं। मैं स्वयं वहां गया हूं। वहां बहुत गरीबी है। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और दूसरी तरफ वहां जबरदस्त नक्सलवाद है। कल रघुवंश प्रसाद जी ने यह भी जानकारी दी थी कि चाहे राजनीतिक संकट रहा हो या कुछ भी कारण हो, वहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, जिस कारण वहां विकास बाधित हुआ है। उसी कड़ी में यशवंत जी ने बहुत विस्तार से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी के बारे में कहा कि 23 महीने के शासनकाल में 4575 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, जिसकी जांच अभी चल रही है। हम भी मांग करेंगे कि अगर वहां विकास के पैसे का घोटाला हुआ है, तो इस बात की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए।

सभापति महोदय, महंगाई भी बढ़ी है और जैसा कहा गया कि वहां आवश्यक वस्तुओं की जन वितरण प्रणाली भी फेल हुई है। मनरेगा के बारे में यशवंत जी ने बहुत विस्तृत बातें कही हैं कि दस अरब रुपए लैप्स हुए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। अगर यह पैसा खर्च हुआ होता और वहां पंचायत का चुनाव हुआ होता और मनरेगा के तहत पैसा खर्च हुआ होता, तो मेरे ख्याल से उस प्रदेश का चौमुखी विकास होता। जहां तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मनरेगा के तहत काम कराया गया और बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, इसकी भी जांच आने वाली जो भी सरकार हो, उससे कराई जाए। महामहिम राज्यपाल के सलाहकार ने स्वीकार किया है कि मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। यशवंत जी ने कहा है कि दो हजार करोड़ रुपए है। मैं झारखंड राज्य से हट कर अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं, बल्कि यह पूरे देश में व्यवस्था की गई कि मनरेगा के तहत जो भी मजदूरी करे, वह बैंक से पेमेंट ले। आज भी गांवों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। तमाम मजदूर चौराहे पर खड़े होते हैं और मजदूरी करते हैं तथा चार-पांच दिन बाद मजदूरी लेकर वापिस घर जाता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। एक हफ्ते मनरेगा के तरह मजदूरी करने के बाद वह बैंक का चक्कर लगाता है और जब तक दलालों से उसकी मुलाकात नहीं होती, तब तक उसे पेमेंट नहीं मिलती है। मनरेगा में व्यवस्था होनी चाहिए कि एक मजदूर को कम से कम सौ रुपया रोज मजदूरी मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार मिलनी चाहिए, तभी मजदूरों की स्थिति ठीक होगी और देश से गरीबी दूर होगी।

आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण के बारे में कहा कि डेढ़ वर्ष में केवल 22 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, यह बहुत सोचने की बात है, जहां यूपीए सरकार का लक्ष्य वर्ष 2012 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। एनजीओज़ को 400 करोड़ रुपया मनरेगा चलाने के लिए दिया गया है, उस में भी जो घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन एनजीओज़ ने वहां क्या काम किए। मैं आने वाली सरकार के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वहां अच्छी सरकार गठित हो और राज्य का समुचित विकास हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं सप्लीमेंटरी डिमांड्स फार ग्रांट्स का समर्थन करता हूं कि वहां जो भी स्थिति है, वहां पैसा खर्च हो तथा उस राज्य का विकास हो।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा में धनी है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां की हालत बहुत खराब है। मैं वहां गया था और देखा कि वहां एनएच 98 मार्ग पटना से रांची है, उसके बीच एनएच 75 है। एनएच राजमार्ग 98 और 75 गाड़ियों के चलने लायक नहीं हैं। सारी सड़क खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि एनएच 98 और एनएच 75, जो पटना से औरंगाबाद, डालटेनगंज और डालटेनगंज से गरभा होते हुए रांची तक जाती है।

उस राष्ट्रीय राजमार्ग का तुंत सुधार होना चाहिए। इसका सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्या गड़बड़ी है? कहां हेराफेरी है? क्या दिक्कत है? इसी कारण से उग्रवाद है, जहां सड़क नहीं होगी, सड़कें चौपट होंगी वहां उग्रवाद फैलेगा इसलिए इसका सुधार तुंत होना चाहिए। एनएच-6 झारखंड में है। इसका भी सुधार होना चाहिए। भारत सरकार की पॉलिसी है कि गोल्डन क्वार्डिलेटरल अथवा ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर एवं नॉर्थ-साउथ कोरीडोर से सभी राजधानियों को, हर एक राज्य की राजधानी, जहां से सड़क गुजरती है, को जोड़ना है। इसे फोर लेन करना है। गोल्डन क्वार्डिलेटरल से रांची को फोर लेन क्यों नहीं किया गया? सरकार की पॉलिसी है। झारखंड के साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है।

महोदय, यहां चार परियोजनाएं हैं - पटाने, कदबन, कनहार और कोइल। यहां चार जलाशय और चार परियोजनाएं लंबित हैं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश चार राज्यों से संबंधित है। इन चार प्रदेशों के कारण वहां के लोग तबाह हो रहे हैं क्योंकि ये जलाशय परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं। भारत सरकार चारों राज्यों को बुलाए, सिंचाई मंत्री उनको बुलाकर उनसे बातचीत करें। चारों परियोजनाओं से झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा और उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। ...(व्यवधान)

महोदय, जसवंत बाबू भाषण शुरू कर रहे थे, उन्होंने भाषण शुरू किया कि ये आचार संहिता है। पार्लियामेंट में वैधानिक औपचारिकता सप्लीमेंटरी बजट पास हो रहा है, उसे रोक रहे हैं और कहते हैं कि आचार संहिता है। आप अफसर से राजनीति में आए हैं, अफसर वाली मानसिकता है, किराने वाली होती तो राज न करते। जब ये वित्त मंत्री थे तब झारखंड को सौ-सौ करोड़ रुपया नहीं दिया, गरीब राज्य का सौ करोड़ रुपया रोक दिया। वित्त आयोग को याद कीजिए, वर्ष 1995-96 में वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, तब बंटने के बाद बिहार को झारखंड का हिस्सा मिला, बिहार का भी मिला। लेकिन जब से ये वित्त मंत्री बने, वित्त आयोग का पैसा, जो राज्य का होता है, इन्होंने नहीं दिया। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 झारखंड का गला कटाया है।...(व्यवधान) वित्त मंत्री थे और कहते हैं क्या नहीं दिया पैसा, क्या नहीं दिया पैसा।...(व्यवधान) ये झारखंड के दुश्मन हैं। झारखंड की जनता के खिलाफ हैं। जब ये वित्त मंत्री थे तब पैसा नहीं दिया। लेकिन अब ये नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): मैं झारखंड का चुना हुआ सांसद हूं। ये क्या बकवास कर रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। रघुवंश प्रसाद जी, डिस्टर्ब मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : राज बंट गया लेकिन राज किसका बना, इनका बना। ...(व्यवधान) क्यों बाबू लाल मरांडी को हटाया? भाजपा या कोई माई का लाल है, जो इस हाउस में जवाब दे। बाबू लाल मरांडी को हटाया गया क्योंकि वह रुपया नहीं पहुंचाता था। पहुंचाने वाला आ गया तब बना दिया और झारखंड में भ्रष्टाचार का बीजारोपण हो गया। तब कैसे रक्षा होगी? "रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए।" वहां की हालत बहुत खराब है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कंट्रोल करें।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : रोजगार गारंटी के विषय में कल हमारी एक बात छूट गई थी। यह जगजाहिर है कि एक्ट्रीम लैफ्टिस्ट, माओवादी ने हाल में बयान देकर कहा है कि रोजगार गारंटी क्रंतिकारी कानून है। कोई भी सरकार की योजना ऐसी नहीं है जिसका माओवादी लोग समर्थन करते हों और उसे खराब न कहते हों और उसे न रोकते हों। एक रोजगार गारंटी योजना ऐसी है, जिसका माओवादी ने भी समर्थन किया है। इधर एक्सट्रीम लैफ्टिस्ट का समर्थन एक्सट्रीम राइटिस्ट के खिलाफ है। ये लोग गरीबों का क्या भला करेंगे। अब कुछ महीने लगे हैं, अब यशवंत बाबू समझने लगे हैं। ग्राम सभा नहीं हुई, कौन चैकिंग करेगा, अफसर के हाथ में है। आप जानते हैं क्या गड़बड़ी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी के हैड हजारीबाग जिले के होंगे। आपने अभी तक बैठक क्यों नहीं कराई?

श्री यशवंत सिन्हा : आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए नहीं कराई है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आचार संहिता इधर से लगी है।...(व्यवधान) चुनाव के बाद जब से जीते हैं, क्या आचार संहिता लगी हुई है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इसीलिए रोजगार गारंटी कानून झारखंड के लिए वरदान है, कायाकल्प की योजना है। लेकिन उसमें गड़बड़ी हो सकती है। उसका इलाज है - लाख दुखों की एक दवा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। लोक सभा, विधान सभा, ग्राम सभा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, आप वहां ग्राम सभा करवा दीजिए और देखिये वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वहां जितनी नदियां हैं, उनमें चैक डैम से सिंचाई होगी। वहां जंगल हैं, वहां धरती के अंदर ट्राइबल्स लोगों के रत्न हैं।

महोदय, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो वहां अफसरों का भी बंटवारा हुआ। तीन तरह के अफसर उधर चले गये। एक जो इधर प्रताड़ित थे, वे उधर चले गये। दूसरे जो लुटेरे थे, जिन्हें लगा कि वहां खूब मालदार राज है, वे चले गये और तीसरे जिनका उधर घर पड़ा, वे चले गये। इस तरह से तीन तरह के अफसर उधर चले गये। लेकिन यह राजनीतिक वहां कैसे चले गये। अब यहां झारखंड के पैसे को रोक रहे हैं। मैं जाकर झारखंड के गांव-गांव में सुनाऊंगा। ...(व्यवधान)

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. It will not go on record.

*(Interruptions) â€¦**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : भाजपा वाले झारखंड के खिलाफ हैं। इसीलिए वहां की जनता के विकास के लिए सावधानी बरती जाए, वहां कड़ाई हो, निगरानी हो, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद किया जाए। लेकिन वहां का पैसा नहीं रोका जाए, पैसा रोकना जनता के साथ शत्रुता और बैर है।

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh wanted to speak for two minutes and he is allowed. Please conclude it two minutes because there is no time left.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Chaudhary Lal Singh, you are not allowed; please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR.CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, you may begin your speech and conclude in two minutes.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Shri Vijay Bahadur Singh says.

...(*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन दो मिनट में सिर्फ एक फार्मूले की बात हो सकती है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am repeatedly telling you. You may please take your seat. This is not correct.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Chaudhary Lal Singh, you are not allowed. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is no time and you should understand that.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do you speak like this? Please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why do you speak like this?

Whatever cross-talk was there, is not on record. Knowing that, why do you want to expunge that? There is nothing in the record to expunge. What is not there in the record, cannot be expunged. You should know that.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, I am going to call the hon. Minister. If you want to speak, you may speak.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH: But they are not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: You can speak now. Only what you are saying will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

* Not recorded.

श्री विजय बहादुर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है लेकिन दो मिनट में केवल फॉर्मूला की बात ही हो सकती है और मैं वही बात कहना चाहता हूं.। अगर कंटनजैंसी ग्रांट्स से कांस्टीट्युशनल क्राइसिस पैदा हो रहा है तो कंटनजैंसी ग्रांट्स देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस ग्रांट के पीछे यह मंशा है कि झारखंड में इलैक्शन हो रहे हैं, अगर इलैक्शन प्रभावित हों तो कंटनजैंसी ग्रांट्स टाईट रोप वाकिंग है। मुझे इस बात का कैसे ध्यान आया, वह बताता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य श्री पाल साहब ने कहा कि साईकल्स बंटवाना है, मोटर साईकिल बंटवाना है और 23 दिसम्बर को नतीजे आ रहे हैं तो यह आचार-संहिता का डायरेक्ट उल्लंघन है। यू.पी.ए. सरकार की यह आदत है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो रुपये की बदौलत इलैक्शन को प्रभावित करना चाहती हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि I am in favour that contingency grant may be given but extreme care and caution should be exercised.

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यू.पी. ए. सरकार की यह भी आदत है कि मिर्जापुर-चित्रकूट होते हुये, जहां पर श्रीराम का नाम लिया जाता है, तुलसीदास जी वहीं रहे, वह हाईवे-77 सड़क सैंट्रल गवर्नमेंट की है,...(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN: You have not much time left.

श्री विजय बहादुर सिंह : अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट जितने इलैक्शन लड़ रही है, मनी- पॉवर से लड़ रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने करप्शन के केसेज़ हैं...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you speaking on Jharkhand or on UPA?...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him. Let him finish.

...(*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : नारायणसामी जी, जब आप बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, you may take your seat. You have made your point.

श्री विजय बहादुर सिंह : नारायणसामी जी, आप जब हमें सुनेंगे तो आपका कंडक्ट इप्रूव हो जायेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please understand that we have hardly 15 minutes left for this subject.

...(*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : सभापति जी, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, you may take your seat. You have made your point.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि The contingency grant should be released but only till the elected Government is there. Thereafter, the Supplementary Grant can be given. This is my submission.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, इसके पहले कि मंत्री महोदय अपना जवाब प्रारम्भ करें, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से यह बात रखी गई है कि इन अनुपूरक मागों का आना अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। यह आचार-संहिता का खुल्लम-खुला उल्लंघन है। इसलिये मंत्री जी इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स को वापस ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग शान्ति से मंत्री जी की बात सुनेंगे और बाद में डिमाड्स को वापस ले लेंगे। लेकिन यदि मंत्री जी सदन में इन्हें पारित करने के लिये रखने वाले हैं तो हम फिर इस असंवैधानिक कार्य में आपके भागीदार नहीं बनना चाहेंगे और सब के सब वॉक आउट कर जायेंगे। आप अपनी तरफ से इनको पारित करा दीजिये। हम इस पाप के भागी नहीं बनेंगे। आप हमें बता दीजिये कि आप क्या करने वाले हैं?

MR. CHAIRMAN: Sushma Ji, you cannot make it conditional. First listen to him and then take a decision.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : हम इस पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं.।

MR. CHAIRMAN: You cannot predict what the Minister is going to say. Please listen to him and then take your decision.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN; Mr. Minister, please start your speech.

श्री नमो नारायन मीणा: सभापति महोदय, झारखंड की अनुपूरक मागों संबंधी चर्चा पर पांच माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only hon. Minister's statement will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

* Not recorded.

श्री नमो नारायण मीणा : उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिये और कुछ कानसैंसेज़ किये, मैं उन सुझावों का आदर करता हूं। सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कांस्टीट्युशनल रिक्वायरमेंट है। इलैक्शन कमीशन की तरफ से छूट दी गई है। इलैक्शन कमीशन के पास हमने डिमांड भेजी है और उन्होंने कहा है कि " We have no objection" इलैक्शन कमीशन का जो पत्र आया है, उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं वह पढ़कर सुनाता हूं -

"We have no objection."

15.15 hrs.

At this stage Smt. Sushma Swaraj and some other hon. Members left the House.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: The Election Commission of India wrote a letter to the Chief Electoral Officer, Jharkhand, Ranchi on the subject as follows:

> "General Election to the Jharkhand Legislative Assembly, 2009 – Laying of Jharkhand supplementary budget 2009-10- permission – Reg.: 'I am directed to refer to your letter No.202/CEO dated 28.10.2009 on the subject cited and to state that the Commission has no objection to the proposal contained therein'."

महोदय, मैं यह पटल पर रखता हूं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कंटीजेंसी बिल का जो ऑर्डिनेंस लाये थे, उसे पार्लियामेंट के पहले सेशन में लाना जरूरी होता है इसलिए हम इसे लेकर आए हैं। माननीय सिन्हा साहब कह रहे थे कि एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए। पूरे राज्य के 24 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। उनके पास 150 करोड़ रूपए कंटीजेंसी फंड में उपलब्ध थे, उन्हें और पैसे की जरूरत महसूस हुई तो उसे हमारी सरकार ने 500 करोड़ रूपए किया। सभी 24 जिलों में अकाल राहत के लिए काम चल रहे हैं और लोगों को मरने से बचाया है, लोगों की परेशानियों को यह कंटीजेंसी फंड देकर दूर किया गया है।

महोदय, राज्य के द्वारा कुल 1074.03 करोड़ रूपए की पूरक अनुदानों की मांगें रखी गयी हैं, इस राशि में 48 लाख चार्जड है। गैर योजना के लिए 412.30 करोड़ रूपए की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है। इसमें से 300 करोड़ रूपए सूखा सहायता से संबंधित है, शेष राशि मुक्त राजकीय निर्वाचन के लिए 27.00 करोड़ रूपए, पथ निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए, मानव संसाधन विकास के लिए 54.14 करोड़ रूपए है। योजना के अंतर्गत 661.73 करोड़ रूपए की मांग प्रस्तावित है। 8,200 करोड़ रूपए की राशि, योजना के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 600.49 करोड़ रूपए का प्रावधान विभिन्न योजनाओं के पुनः आबंटन और परिव्यय के आलोक में किया गया है। 61.24 करोड़ रूपए की राशि केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित है। राज्य योजना के पूरक मांग के मुख्य प्रस्ताव रेलवे परियोजना के लिए 68.70 करोड़ रूपए, विद्युत योजनाओं के लिए 193.50 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना एवं स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के लिए 150 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के लिए 22.73 करोड़ रूपए रखे गये हैं। योजना पूरक मांग कर राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि यह राशि परिव्यय एवं पुनः आबंटन से प्राप्त हो रही है। गैर योजना के लिए 300 करोड़ रूपए की राशि, आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध राशि से प्राप्त हो रही है। 40.61 करोड़ रूपए यूनीवर्सिटी के शिक्षकों के वेतन के लिए केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार राज्य पर पूरक मांग प्रस्ताव का कुल वित्तीय बोझ मात्र 71.69 करोड़ रूपए गैर योजना मद में पड़ रहा है। झारखंड आकस्मिकता निधि अधिनियम में संशोधन करते हुए यह राशि 150 करोड़ रूपए से 500 करोड़ रूपए की जा रही है। कई तरह के जो सरेंडर्स हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने बात उठाई थी कि सरेंडर्स हुए हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट में 90 करोड़ रूपए का सरेंडर हुआ है, वह इसलिए हुआ क्योंकि लैंड एक्वीजिशन नहीं हो पाया। हायर एजुकेशन में 90 करोड़ रूपए का सरेंडर हुआ है। इसकी समस्या यह थी कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रपोजल्स फाइनलाईज नहीं हो सके। आई.टी. सेक्टर में 35 करोड़ रूपए की, हैल्थ सेक्टर में 50 करोड़ रूपए की और सिविल ऐविएशन में 9.8 करोड़ रूपए की बचत हुई है। कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि बिजली की कमी है। 193.50 करोड़ रूपए बिजली व्यवस्था के लिए री-अलोकेशन में दिये गये हैं।

महोदय, पूरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। माननीय सिन्हा साहब ने कई तरह की चीजें उठायीं, मैंने इनका जवाब दिया। कॉस्टीट्यूशनल रिक्वायरेंट थी, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। राष्ट्रपति जी से हमने आर्डिनैन्स निकलवाया और लोक सभा में अब हमने पेश किया है। निर्वाचन आयोग से हमने परमीशन ले ली है। सूखे से निपटने के लिए यह पैसे जारी किये गये थे। एक उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रमाण का उस समय इलैक्शन कमीशन को ब्यौरा नहीं दिया गया था। इलैक्शन कमीशन को ब्यौरा दिया, उनके वहाँ से परमीशन आ गई तो उसको इस बार जोड़ा गया।

रेलवे की परियोजना की बात जो की है, यह मिड टर्म रिव्यू हुआ है। प्लानिंग डिपार्टमैंट झारखंड द्वारा इस वजह से इसको रखा गया है। राइट्स की योजनाओं की बात उठाई गई। कई माननीय सदस्यों ने और खासकर सिन्हा जी ने कहा कि पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं इससे सहमत हूँ। 30 परसैंट अभी तक जो धन आबंटित था, वह खर्च नहीं हो पाया है। आप जानते हैं कि जैसे ही वित्तीय वर्ष चालू हुआ, उस समय संसद के चुनाव आ गए, अब विधान सभा के चुनाव आ गए। कई तरह की पाबंदियाँ लगी हुई थीं लेकिन बचे हुए समय में मैं आशा करता हूँ कि पूरे धन का उपयोग होगा।

महिलाओं की सहायता के लिए 7000 से अधिक महिला सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली से अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न एवं चीनी पहुँचाई जा रही है। लेवी चीनी का वितरण जन वितरण प्रणाली के तहत किया जा रहा है। एपीएल परिवारों के लिए गेहूँ और सब चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक खास बात सिन्हा जी ने कही और माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने भी नरेगा को लेकर यह मुद्दा उठाया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता

हूँ कि इस छोटे से राज्य में 35 लाख जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं। 87.45 परसेंट हाउसहोल्ड को कवर किया हुआ है। आपने बैंक अकाउंट के बारे में कहा था । राज्य के 89.95 परसेंट नरेगा जॉब कार्डधारी बैंक एकाउन्ट / पोस्ट आफिस एकाउन्ट हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की अंगुलियाँ उठाई गई हैं। पूरे राज्य में 1,29,542 नरेगा की योजनाएँ चल रही हैं। बड़े युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सारे प्रदेश में अकाल की स्थिति है। 24 के 24 ज़िलों में अकाल राहत और सब तरह के काम चल रहे हैं। मैंने लगभग सभी का जवाब दे दिया है। मुझे जो समय दिया गया मैं उसको भी करीब दो-तीन मिनट एक्सीड कर गया। ...(व्यवधान) मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि झारखंड से संबंधित सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ और जो आर्डिनैन्स को रैगुलराइज़ करके हम विधेयक लाए हैं, इसको पारित करें।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House may now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) for 2009-2010 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 6, 9, 10, 18, 21 to 23, 26, 27, 30, 33, 39 to 42, 44, 47, 48 and 51. "

The motion was adopted.